पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 195/2024 **दिनांक- 21.06.2024**

प्रेस विज्ञप्ति

"स्वयं और समाज के लिए योग", 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक व पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा पुलिस लाईन्स परिसर में किया गया योगाभ्यास

10 वें अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस- 2024 की थीम "स्वयं और समाज के लिए योग।" यह विषय योग अभ्यास के दोहरे लाभों पर जोर देता है: व्यक्तिगत कल्याण को बढ़ाना और बड़े पैमाने पर समाज में सुधार करना। थीम यह मानती है कि आंतरिक शांति और आत्म-देखभाल एक खुशहाल और स्वस्थ अस्तित्व की आधारशिला हैं। जिसके क्रम में आज दिनांक- 21.06.2024 को पुलिस महानिरीक्षक आजमगढ़, परिक्षेत्र आजमगढ़ अखिलेश कुमार, पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा पुलिस लाईन्स परिसर में योगाभ्यास किया गया। इस अवसर पर योगा प्रशिक्षक द्वारा विभिन्न प्रकार के योग आसनो जैसे अनुलोमविलोम-, कपाल भांति, अर्धचक्रासन, बज्रआसन, भुजंग आसन, शशांक आसन ,शीतली प्राणायाम आदि आसनों का अभ्यास कराया गया। योगा प्रशिक्षक द्वारा लोगो को प्रोत्साहित करते हुए बताये कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने शरीर को निरोग बनाये रखने हेतु प्रतिदिन समय निकालकर योगाभ्यास व व्यायाम करना चाहिए। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेन्द्र लाल, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात विवेक त्रिपाठी, क्षेत्राधिकारी सदर/एएसपी शुभम अग्रवाल, क्षेत्राधिकारी नगर गौरव शर्मा, प्रतिसार निरीक्षक संतोष कुमार सिंह व अन्य अधिकारी/कर्मचारी गण मौजूद रहें।

➡इसके अतिरिक्त जनपदीय पुलिस के समस्त थानों/चौकी तथा पुलिस कार्यालयों पर भी योग शिविर/कार्यशाला का आयोजन कर योगाभ्यास किया गया।

थाना जहानागंज

मारपीट करने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 02.06.2024 को वादी अखिलेश चौहान पुत्र गुलाब चौहान निवासी नरेहथा थाना जहानागंज आजमगढ़ द्वारा प्रार्थनापत्र दिया कि दिनांक 01.6.2024 को समय 11 बजे रात्रि मे पास के ग्राम समाज के पोखरी मे जे0सी0वी0 मशीन से मिट्टी खुदाई करवाया जा रहा था मेरे द्वारा पूछने पर अभियुक्तगण द्वारा लाठी डण्डा राड से मुझे बुरी तरह मारे जिससे गम्भीर चोटे आई है तथा गाली गलौज देते हुए जान से मारने की धमकी दिये तथा मेरी मोबाइल क्षति ग्रस्त कर दिये जो नही मिला जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु.अ.स. 266/24 धारा 323/504/506/427/34 भादवि पंजीकृत कर विवेचना उ.नि. मुरारी मिश्रा चौकी प्रभारी चक्रपानपुर द्वारा सम्पादित की जा रही थी। दौरान विवेचना अभियोग उपरोक्त मे धारा 392/147 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी। आज दिनांक 21.06.2024 को उ0नि0 मुरारी मिश्र मय हमराह के द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभि0 मन्टू यादव पुत्र सकन्तू यादव निवासी नरेहथा थाना जहानागंज को अभियुक्त के घर नरेहथा से समय करीब 08.05 बजे गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त को मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0स0 266/24 धारा 392/147/325/323/504/506/427 भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़

गिरफ्तारी अभियुक्त-

1- मन्टू यादव पुत्र सकन्तू यादव निवासी नरेहथा थाना जहानागंज उम्र करीब 58 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0स0 266/24 धारा 392/147/325/323/504/506/427 भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ.नि. मुरारी मिश्रा चौकी प्रभारी चक्रपानपुर थाना जहानागंज आजमगढ़

2- हे.का. प्रमोद कुमार यादव का0 हरेन्द्र सिंह थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।

थाना निजामाबाद

डरा-धमका कर जबरन पैसा वसूली किये जाने के अभियोग में 02 आरक्षी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण –

दिनांक 20.06.24 को वादी मुकदमा कैलाश प्रजापति पुत्र राधेश्याम प्रजापति निवासी ग्राम हुसामपुर बडागांव थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ ने थाना निजामाबाद पर लिखित तहरीर दिया कि दिनांक 28.03.24 को पुलिस अधीक्षक कार्यालय आजमगढ़ में अपने विपक्षी से जमीनी विवाद के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया था जिसके अगले दिन दो सिपाही वर्दी में घर पर आये और कहे कि जो प्रार्थना पत्र दिये हो उसी की जाँच में हम पुलिस वाले आये है एक के नेम प्लेट पर अजीत कुमार यादव तथा दुसरे के नेम प्लेट पर सत्यदेव पाल लिखा हुआ था वादी मुकदमा से विपक्षी के उपर मुकदमा लिखवाने के नाम पर ज्यादा पैसे की मांग करते हुए वादी मुकदमा से डरा धमका कर जबरन 6000 रुपये ले लिए, जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 294/24 धारा 386 भादवि बनाम आरक्षी अजीत कुमार यादव व आरक्षी सत्यदेव पाल के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी ।

➡ विवेचना के दौरान 1.आरक्षी अजीत कुमार यादव पुत्र विश्वनाथ यादव ग्राम टेकारी धर्मशाला थाना चोलापुर जनपद वाराणसी उम्र 30 वर्ष नियुक्ति स्थान FIR सेल पुलिस अधीक्षक कार्यालय आजमगढ़ 2. आरक्षी सत्यदेव पाल पुत्र सभापति पाल निवासी अडियार थाना सुरेही जनपद जौनपुर उम्र 30 वर्ष नियुक्ति स्थान शिकायत प्रकोष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय जनपद मऊ का नाम प्रकाश में आया।

गिरफ्तारी का विवरण –

दिनांक 20.06.24 को उ0नि0 प्रमोद कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **1.**अजीत कुमार यादव पुत्र विश्वनाथ यादव ग्राम टेकारी धर्मशाला थाना चोलापुर जनपद वाराणसी उम्र 30 वर्ष 2.सत्यदेव पाल पुत्र सभापति पाल निवासी अडियार थाना सुरेही जनपद जौनपुर उम्र 30 वर्ष को रानी की सराय निजामाबाद रेलवे क्रासिंग के पास से समय 17.05 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग –

1- मु0अ0सं0 294/24 धारा 386 भादवि थाना निजामाबाद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. आरक्षी अजीत कुमार यादव पुत्र विश्वनाथ यादव ग्राम टेकारी धर्मशाला थाना चोलापुर जनपद वाराणसी उम्र 30 वर्ष

2. आरक्षी सत्यदेव पाल पुत्र सभापति पाल निवासी अडियार थाना सुरेही जनपद जौनपुर उम्र 30 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.उ0नि0 प्रमोद कुमार सिंह थाना निजामाबाद आजमगढ़

3.का0 दिनेश चन्द्र व का0 विक्रम मौर्या थाना निजामाबाद आजमगढ़

थाना – अहरौला

दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक- 21/6/24 को उ0नि0 विश्राम गुप्ता मय हमराह द्वारा थाना अहरौला पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 0294 /24 धारा 323/504/506/354(ख)/376 भादवि से सम्बन्धित वान्छित अभियुक्त डा0 विपिन प्रजापति पुत्र जयशंकर प्रजापति ग्राम- बस्तीभुजबल थाना- अहरौला जनपद- आजमगढ़ को बसही चौहारे से 300 मीटर आगे कप्तानगंज रोड के पास से समय करीब 08.50 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। बाद पुलिस कार्यवाही अभियुक्त को मा0 न्याया0 भेजा जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग

1- मु0अ0सं0 0294 /24 धारा 323/504/506/354(ख) बढ़ोत्तरी 376 भादवि थाना अहरौला आजमगढ़

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता –

1- डा0 विपिन प्रजापति पुत्र जयशंकर प्रजापति ग्राम-बस्तीभुजबल थाना- अहरौला जनपद- आजमगढ़ उम्र 28 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 विश्राम गुप्ता मय हमराह का0 पुष्पेन्द्र कुमार व का0 आदर्श शाह थाना अहरौला आजमगढ़।

थाना- जहानागंज

अपहरण के अभियोग में एक अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 12.02.2024 को वादिनी थाना रानी की सराय आजमगढ़ द्वारा प्रार्थनापत्र दिया गया कि मेरी नाबालिग पुत्री उम्र लगभग 14 वर्ष जो अपने ननिहाल ग्रा थाना जहानागंज गयी थी को दिनांक 10.2.24 को समय लगभग 3 बजे दिन मे मो0 आसिफ जो बिहार का रहने वाला है यहाँ रजाई भरने का काम करता था मेरी नाबालिग पुत्री को बहला फुसला कर भगा ले गया जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु.अ.स. 54/2024 धारा 363/366 भादवि पंजीकृत कर विवेचना उ.नि. ओमप्रकाश यादव द्वारा सम्पादित की जा रही थी।

आज दिनांक 21.06.2024 को उ0नि0 ओम प्रकाश यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभि0 आसिफ उर्फ यासीन को ग्राम भोपतपुर नहर पुलिया के पास से समय करीब 10.10 बजे गिरफ्तार कर लिया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त को मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0स0 54/24 धारा 363/366 भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़

गिरफ्तारी अभियुक्त-

1- आसिफ उर्फ यासीन पुत्र नसीम मियाँ निवासी वार्ड न. 06 कजरा रामपुर पोस्ट घोरहा थाना रानीगंज जिला अररिया बिहार उम्र करीब 20 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0स0 54/24 धारा 363/366 भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ.नि. ओमप्रकाश यादव मय हमराह थाना जहानागंज आजमगढ़

थाना बिलरियागंज

चोरी गये आभूषण के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण-दिनांक 20.06.2024 को वादी मुकदमा सुधाकर सोनी पुत्र स्व0 भगवती सोनी ग्राम बिलरियागंज थाना बिलरियागंज जिला आजमगढ़ ने थाना बिलरियागंज पर लिखित तहरीर दिया कि दिनांक 18.06.2024 को अज्ञात चोरों द्वारा वादी के बिलरियागंज कस्बा स्थित ज्वैलर्स के दुकान में से कान का झूमका (ज्वैलरी) चोरी कर लिया गया है, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 225/24 धारा 380 भादवि. बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था।

मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त 1. विनोद सोनी पुत्र स्व0 महादेव वर्मा ग्राम राजेसुल्तानपुर बाजार थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर 2. नन्दलाल सोनी उर्फ घुरहू सोनी पुत्र रामदीन वर्मा ग्राम राजेसुल्तानपुर बाजार थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर के पास से चोरी का आभूषण एक जोड़ी झुमकी बरामद की गयी है तथा अभियोग में धारा 411 भा0द0वि0 की वृद्धि की गयी।

गिरफ्तारी का विवरणः-दिनांक 21.06.2024 को उ0नि0 संजय कुमार उपाध्याय मय हमराह के द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. विनोद सोनी पुत्र स्व0 महादेव वर्मा ग्राम राजेसुल्तानपुर बाजार थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर 2. नन्दलाल सोनी उर्फ घुरहू सोनी पुत्र रामदीन वर्मा ग्राम राजेसुल्तानपुर बाजार थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर को 01 जोड़ी झुमकी के साथ गोरिया बाजार से समय 7.10 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य वैधानिक कार्यवाही अमल मे लायी जा रही है।

पंजीकृत अभियोग - मु0अ0सं0 225/24 धारा 380/411 भा0द0वि0 थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता

1. विनोद सोनी पुत्र स्व0 महादेव वर्मा ग्राम राजेसुल्तानपुर बाजार थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर।
2. नन्दलाल सोनी उर्फ घुरहू सोनी पुत्र रामदीन वर्मा ग्राम राजेसुल्तानपुर बाजार थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर।

बरामदगी - 01 जोड़ी झुमकी

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-

1. उ0नि0 संजय कुमार उपाध्याय थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
2. का0 अजय कुमार पटेल का0 अजीत कुमार का0 आफताब आलम थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

थाना जहानागंज

धर्मान्तरण कराने में 02 आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 20.06.2024 को वादी राजेश कुमार पुत्र स्व0 प्रकाश ग्रा0 मुस्तफाबाद थाना जहानागंज आजमगढ़ द्वारा प्रार्थनापत्र दिया कि हमारे ही गाँव मे परभंश राम पुत्र स्व0 श्रीपति के मकान मे धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु.अ.स. 317/24 धारा 188 भादवि व 3/5(1) विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन अधि0 पंजीकृत कर विवेचना उ.नि. मदन कुमार गुप्ता द्वारा सम्पादित की जा रही थी।

आज दिनांक 21.06.2024 को उ0नि0 मदन कुमार गुप्ता मय हमराह को सूचना मिली कि मुस्तफाबाद ग्राम मे परमहंश के घर मे गाँव के लोगो को प्रलोभन देकर अंधविस्वास फैलाकर उनका ब्रेनवास कर धर्मपरिवर्तन करवा रहे है वही लोग आज फिर परमहंश के घर पर आकर लोगो को इकट्ठा कर उनका ब्रेन वास कर धर्म परिवर्तन करवा रहे है। इस सूचना पर तत्काल परमहंश के घर मे एक पुरुष व एक महिला खड़े होकर लोगो से दुसरे धर्म की किताब के साथ लोगो से ताली बजवा रहे थे। मौके से धर्मपरिवर्तन करा रहे एक पुरूष व एक महिला को विशेष धर्म की किताब के साथ समय करीब 11.30 बजे गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु.अ.स. 317/24 धारा 188 भादवि व 3/5(1) विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन अधि0 थाना जहानागंज आजमगढ़

गिरफ्तारी अभियुक्त-

1- आसिफ संजय कुमार पुत्र स्व0 कवलधारी निवासी सरायकस्बा थाना मुबारकपुर आजमगढ़।

2- सुनीता देवी पत्नी संजय कुमार निवासी सरायकस्बा थाना मुबारकपुर आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ.नि. मदन कुमार गुप्ता मय हमराह थाना जहानागंज आजमगढ़

2- का0 टार्जन गौड़ थाना जहानागंज आजमगढ़

3- म0का0 रिचा तिवारी का0 प्रदीप यादव हे0का0 अनिल कुमार थाना जहानागंज आजमगढ़

थाना सरायमीर

अवैध असलहा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/ इतिहास की विवरण संक्षेप में-

दिनांक 21.06.2024 उ0नि0श्री बासुदेव साहनी मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान छित्तेपुर चौराहे के पास एक अभियुक्त तालिब अहमद पुत्र अकील अहमद निवासी ग्राम बखरा, थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 34 वर्ष को एक अवैध तमंचा 0.315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 0.315 बोर के साथ समय 3.30 बजे भोर में गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना सरायमीर पर मु0अ0सं0 - 347/2024 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर गिरफ्तार शअभियुक्त को चालान मा0न्यायालय किया किया गया है।

बरामदगी का विवरणः-

1-एक अदद तमन्चा 0.315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 0.315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त-

1-तालिब अहमद पुत्र अकील अहमद निवासी ग्राम बखरा, थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 34 वर्ष,

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 347/2024 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0- 82/2018 धारा 3/5ए/8 , गौ हत्या अधि व 11 पशु क्रुरता अधि थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 बासुदेव साहनी थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़

2- का0 अजीत यादव, थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़

3- का0 शशिकान्त तिवारी, थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़